राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– श्री हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 140/2023

हरिशंकर बनाम रामावतार वगै0

1. हरिशंकर पुत्र फूलचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बामलास तहसील गुढागौड़जी व जिला झुंझुनू।

प्रार्थी/आवेदक

बनाम

1. रामावतार पुत्र फुलाराम जाति जांगिड़ निवासी बामलास तहसील गुढागौड़जी जिला झुन्झुनू।
2. तहसीलदार जरिये लैण्ड होल्डर झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू

अनावेदकगण/अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अं. धारा 251 (क)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

दिनांक 07/10/24

विवेचन

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/आवेदक ग्राम बामलास की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1085 रकबा 1.12 है0 आवेदक के कब्जे काश्त की भूमि है उक्त भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता नहीं है। ग्राम बामलास में भूमि खसरा नम्बर 1086 रकबा 1.9350 है0 भूमि स्थित है जो कि अनावेदक संख्या 01 की खातेदारी भूमि है, जिसके नजदीक से एक कटानशुदा रास्ता निकलता है जो आवेदक की कृषि भूमि से लगभग 100 फीट की दूरी पर स्थित है, जहां से आवेदक अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ता चाहता है। उक्त रास्ते बाबत अनावेदक द्वारा स्पष्ट मना कर दिया गया है। आवेदक को अपनी भूमि तक पहुंचने के लिए रास्ते की आवश्यकता है तथा कानूनी अधिकार भी प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि भूमि खसरा नम्बर 1085 में आवागमन के लिए 4 फीट चौड़ाई का रास्ता अनावेदक संख्या 01 के खेत खसरा नम्बर 1086 से होते हुए नजरी नक्शा में दर्शाये बिंदु संख्या ए से बी तक रास्ता दिलावाया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जावे।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जबाव देही तलब किया गया। अनावेकद संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय आये। अनावेदक संख्या 2 तहसीलदार गुढागौड़जी पत्रांक राजस्व/2024/757 दिनांक 30.07.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की है, जिसे शामिल मिशल किया गया। वकील बहस पक्षकारान सुनी गई। वकील आवेदक ने दौराने बहस कथन किया कि भूमि

उपखण्ड अधिकारी

खसरा नम्बर 1085 में आवागमन के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा आवेदक को रास्ते की आवश्यकता है। अतः 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता आवेदक को कृषि भूमि में पहुचने हेतु दिलवाया जावे। वकील अप्रार्थी ने कथन किया भूमि खसरा नम्बर 1085 में पहुचेन हेतु स्वंय की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1086 में से रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार रास्ता देने पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन रास्ता भूमि के बदले आवेदक से खसरा नम्बर 1085 की पश्चिमी सीमा में से मेरे खेत की लगती भूमि दिलवाई जावे। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, रिपोर्ट तहसीलदार झुन्झुनू इत्यादि का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन करने से यह तथ्य जाहिर है कि प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा चाहा गया रास्ता लघुतम है। उक्त तथ्यों के आधार एवं न्यायालय मत पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर ग्राम बामलास के भूमि खसरा नम्बर 1085 में पहुंच हेतु मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 30.07.2024 खसरा नम्बर 1086 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 4 मीटर चौड़ाई व 150 मीटर लम्बाई का रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। आवेदक की उक्त रास्ता भूमि के बदले उतनी ही भूमि (जितनी रास्ता दर्ज करने हेतु खातेदारी से कम हुई है।) अपनी खातेदारी भूमि 1085 की पश्चिमी सीमा की तरफ से खसरा नम्बर 1086 के खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। तहसीलदार गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रवाली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 07/10/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07/10/24

(हवाई सिंह यादव)
उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनूं (राज.)